Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 1 ~ Issue 4 (2013)pp: 34-36
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

महिला सशक्तिकरण आयोग की भूमिका

डॉ सुरेन्द्र सिह
व्याख्याता राजनितिक विज्ञान
राजकीय महाविद्यालय बहरोड़ अलवर राजस्थान

परिचय

जेंडर समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है। संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत हमारे कानूनों, विकास संबंधी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति को उद्देश्य बनाया गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–78) से महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति कल्याण की बजाय विकास का दृष्ठिकोण अपनाया जा रहा है। हाल के वर्षों में, महिलाओं की स्थिति को अभिनिश्चित करने में महिला सशक्तीकरण को प्रमुख मुद्दे के रूप में माना गया है। महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी हकों की रक्षा के लिए वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों (1993) के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है जो स्थानीय स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।
1.3 भारत ने महिलाओं के समान अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और मानवाधिकार लिखतों की भी पुष्टि की है। इनमें से एक प्रमुख वर्ष 1993 में महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय (सीईडीएडब्ल्यू) की पुष्टि है।

आयोग का गठन

भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति (सीएसडब्ल्यूआई) ने लगभग दो दश्क पहले ही महिलाओं की शिकायतों के निवारण को सुकर बनाने और उनके सामाजिक–आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए निगरानी के कार्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की अनुशंसा की थी। राष्ट्रीय महिला भावी योजना (1988–2000) सहित अनुक्रमिक समितियों आयोगों योजनाओं ने महिलाओं हेतु सर्वोच्च निकाय गठित करने की अनुशंसा की। वर्ष 1990 के दौरान, केंद्र सरकार ने गठित किए जाने वाले प्रस्तावित आयोग की संरचना, कृत्यों, शक्तियों आदि के बारे में गैर–सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विशेषज्ञों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित कीं। मई, 1990 में, विधेयक को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। जुलाई 1990 में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विधेयक के बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए राष्ट्र स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। अगस्त, 1990 में सरकार अनेक संशोधन लाई और आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान करने के नए उपबंध पुररूस्थापित किए। विधेयक पारित हुआ और 30 अगस्त, 1990 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। पहले आयोग का गठन 31 जनवरी, 1992 को हुआ जिसकी अध्यक्ष श्रीमती जानकी पटनायक थीं। दूसरे आयोग का गठन जुलाई, 1995 में किया गया जिसकी अध्यक्ष डा0 (श्रीमती) मोहिनी गिरि थीं। तीसरे आयोग का गठन जनवरी, 1999 में किया गया जिसकी अध्यक्ष श्रीमती विभा पारथसारथी थी। चौथे आयोग का गठन जनवरी, 2002 में किया गया और सरकार ने अध्यक्ष के रूप में डा0 पूर्णिमा आडवाणी को नामित किया। पांचवे आयोग का गठन फरवरी, 2005 में किया गया जिसकी अध्यक्ष डा0 गिरिजा व्यास थीं। छठे आयोग का गठन अगस्त, 2011 में किया गया जिसकी अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा थीं। सातवें आयोग का गठन 2014 में किया गया हें जिसकी अध्यक्ष सुश्री ललिता कुमारमंगलम हैं ।

महिला आयोग की संरचना

धारा 3
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनिमय, 1990
(भारत सरकार का 1990 का अधिनियम संख्या 20)
1. केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदिष्टित कृत्यों का पालन करेगा।
2. यह आयोग निम्नलिखित को मिलकर बनेगा

- केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अध्यक्ष, जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित हो।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिनिष्ठित व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट पांच सदस्य जिन्हें विधि या विधान, व्यवसाय संघ आंदोलन, महिलाओं की नियोजन संभाव्यताओं की वृद्धि के लिए समर्पित उद्योग या संगठन के प्रबंध, स्वैच्छिक महिला संगठन (जिनके अंतर्गत महिला कार्यकर्ता भी हैं), प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण का अनुभव है।

परन्तु उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा।

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य–सचिव जो –

- प्रबंध, संगठनात्मक संरचना या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ है,
- ऐसा अधिकारी है जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है और जिसके पास समुचित अनुभव है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका

महिलाओं को पुरुषों के जुल्म, हिंसा और अन्याय से बचाने के लिए जिस राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया वह अपने मकसद में ज्यादा सफल नहीं हो पा रहा है। यह ठीक है कि आयोग में शिकायत दर्ज कराने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि आयोग में शिकायत लेकर पहुंचने वाली महिलाओं में अधिकांश संख्या उनकी है जो न केवल पढ़ी–लिखी हैं बल्कि आर्थिक रूप से आत्म–निर्भर होने के साथ–साथ अपने अधिकारों को पहचानती भी हैं लेकिन गांवों की अनपढ़, कम पढ़ी लिखी और दबी–कुचली महिलाओं की आवाज इस आयोग में नहीं सुनी जाती।

राष्ट्रीय महिला आयोग यह कहकर उनकी आवाज अनसुनी कर देता है कि उनके लिए राज्यों में आयोग है, पर राज्यों के आयोग किस भरोसे चल रहे हैं और इस मामले में राष्ट्रीय आयोग क्या कदम उठा रहा है, इस सवाल पर आयोग पल्ला झाड़ लेता है। किसी घटना के होने पर महिला आयोग ने तुरंत प्रतिक्रिया तो दी लेकिन वास्तव में उसने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। आरुषि हत्याकांड मामले में तो आयोग की कार्यशैली पर ही सवाल उठ गए। आयोग में शिकायतों का ढेर लगा है लेकिन निपटाने वाला कोई नहीं है।

महिला दिवस % फैलता विसंगतियों का जाल

मौजूदा दौर में हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाकर भी इनकी गरिमा को याद रखा करते हैं। विश्वव्यापी तौर पर आठ मार्च को प्रतिवर्ष हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं और इस सदी में इनके योगदान की मीमांसा करते हैं। लेकिन, व्यापक परिप्रेक्ष्य में आज भी हमारे सामाजिक दायरे में ऐसी विसंगतियां देखने को मिल जाती हैं, जो इनकी गरिमा के विपरीत रहा करती है। ऐसी प्रवृत्ति हमारी दकियानूसी सोच का ही अभिप्राय है।

अगर ऐसा न होता तो जिस दिन सारी दुनिया में जहां महिला दिवस मनाया जा रहा था। उसी दिन महिलाओं को उत्पीड़ित किए जाने से लेकर उनकी हत्या तक के मामले घटित नहीं होते। जिस महिला दिवस को आधी दुनिया या आधी आबादी के रूप में हम आंकते रहे हैं, उसी आधी दुनिया में विसंगतियों का ऐसा जंजाल आज तक क्यों नहीं मिट पाया है? इस बात का जवाब दिया जाना वाकई टेढ़ी खीर है?

राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य

अपने जनादेश के मुताबिक, आयोग ने महिलाओं की स्थिति के उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए हैं और रिपोर्ट के अन्दर वर्ष भर उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम किए हैं। आयोग ने लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों का दौरा किया और महिलाओं और उनके सशक्तिकरण के मूल्यांकन के लिए 'जेंडर प्रोफाइल' तैयार किया। इन्होंने बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त की और अपनी ओर से अनेक मामलों में शीघ्रता से न्याय के काम किए। इसने बाल विवाह का मुद्दा उठाया, वैधानिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, पारिवारिक महिला लोक अदालतों की स्थापना और कानूनों जैसे दहेज निषेध अधिनियम 1990, अधिनियम 1994, इंडियन पैनल कोड 1860 और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की समीक्षा की ताकि उन्हें अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। आयोग ने वर्कशॉप कंसल्टेशन, महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया, लैंगिक जागरूकता के लिए वर्कशॉप सेमिनार का आयोजन और मादा भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति हिंसा, इत्यादि के खिलाफ जन अभियान चलाए ताकि इन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध समाज में जागरूकता बन सके। सच्चाई का दायरा तो वास्तव में महिलाओं की अकूत श्रमशीलता, गृहस्थ धर्म, पारिवारिक संस्कार और जीवनदर्शन के तमाम गुणों की अवधारणा पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि महिला का पारिवारिक दायरे में जो योगदान होता है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए हमारी संस्कृति को मातृ–प्रधान माना गया है।

क्षेत्राधिकार

आयोग को किसी वाद का विचारण करने के लिए सिविल न्यायालय को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार जैसे –

- प्रकरण महिला उत्पीड़न से सम्बंधित होना चाहिये।
- आयोग में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित उत्पीड़न के तथ्य से सम्बंधित प्रकरण माननीय न्यायालयधकिसी अन्य आयोग में लम्बित नहीं होना चाहिये।
- प्रकरण सेवा से सम्बंधित नहीं होना चाहिये।
- प्रकरण चल व अचल सम्पत्ति बंटवारा वसीयत आदि से सम्बंधित नहीं होना चाहिये।
- प्रकरण किरायेदारी से सम्बंधित नहीं होना चाहिये।
- प्रकरण परमिट लाइसेंस एसोसिएशन व्यापारिक सौदे इत्यादि से सम्बंधित नहीं होना चाहिए।

बिन्दु 2 से 6 तक के प्रकरणों पर आयोग द्वारा कार्यवाही नहीं की जायेगी परन्तु आवश्यकतानुसार उन्हें सम्बंधित अधिकारी को भेजा जा सकता है, तद्नुसार आवेदिका को सूचित करते हुए उपरोक्त प्रकरण आयोग से निक्षेपित किया जायेगा।

प्रकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से पांच वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिये।

राष्ट्रीय महिला आयोग की उपलब्धियां और योजनाएं

देश की महिलाओं की नजरें राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर टिकी हैं। डेढ दशक हो रहा है इसको गठित हुए। इस दौरान आयोग की क्या उपलब्धियां रही हैं ? किन कानूनों पर काम हो रहा है और किन पर होने वाला है ? इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षता डॉ गिरिजा व्यास बताती हैं, कि पिछले दो वर्ष में हम लोगों ने 22 नये कानून बनाये हैं और कुछ कानूनों को हमने पुनरीक्षा की है तथा कुछ कानूनों में मौजूदा कमियों के विषय में सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। आयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि घरेलू हिंसा अधिनियम के संबंध में महिला को उत्तराधिकार में संपत्ति अधिकार प्राप्त होना भी है। विवाह के पंजीकरण की बात भी चल रही है। बाल विवाह पर नया अधिनियम बना कर पंजीकरण कराने भेजा गया है। बलात्कार के कानून में तब्दीली जरूरी है। इससे संबंधित विधेयक बनाकर दिया है, जिसमें पीड़ित महिलाओं का पुनर्वास भी शामिल है। प्रवासी भारतीयों द्वारा विवाहों में भी काफी संख्या में घरेलू हिंसा की शिकायतें आ रही हैं। इन शिकायतों पर काम चल रहा है। वेश्यावृत्ति बहुत बड़ी समस्या है इस समस्या से निबटने के लिए भी विधेयक बनाकर पेश किया गया है उस पर अभी बहस होनी बाकी हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ

[1]. https://hindi.webdunia.com/article/womens-day-special
[2]. https://groups.google.com/forum/#!topic/india-news/-33ZKZQOEVg
[3]. https://www.patrika.com/ghaziabad news/uttar-pradesh-state-woman-commission-whatsapp-no-for-complaints-3804895/
[4]. https://hi.wikipedia.org/wiki/7
[5]. https://www.india.gov.in/hi/
[6]. https://www.swatantraawaz.com/headline/1298.html